235वें सत्र से संबंधित समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

राज्य सभा का 235 वां सत्र जो 23 अप्रैल, 2015 को शुरू हुआ था, आज समाप्त हो रहा है। इस सभा की 13 बैठकें हुईं और उनमें 73 घंटों से अधिक समय तक चर्चाएँ हुईं। मैं महासचिव से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवधि में हुए कार्यों से संबंधित आंकड़ों को उपलब्ध कराएँ।

इस सभा ने केरल राज्य से तीन सदस्यों का स्वागत किया और इसी राज्य के दो सदस्यों को अपनी भावभीनी विदाई दी। इस सत्र में हुए विधायी कार्य उत्साह के प्रतीक हैं। एक संविधान संशोधन विधेयक सहित 12 सरकारी विधेयकों को पारित और वापस किया गया। साथ ही, 36 वर्षों के अंतराल के बाद एक गैर-सरकारी विधेयक, जिसका उद्देश्य विपरीत लिंगी व्यक्तियों (ट्रांसजेंडर्स) के अधिकारों को प्रोत्साहित करना है, को भी पारित किया गया। विधायी प्रक्रिया ने उपलब्ध साधनों और इससे प्राप्त लाभों के जरिए सतर्कतापूर्ण विचार-विमर्श की वांछनीयता का भी प्रदर्शन किया है।

सरकारी कार्यों के साथ-साथ, इस सत्र में अत्यावश्यक विषयों पर सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विचारों में महत्वपूर्ण विकास दिखा है। पूर्वाह्न के दैनिक कार्यों के पुनर्निर्धारण से इसमें सुगमता आयी है। फलतः 'शून्य-काल' के दौरान 42 सदस्यों को अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ। 13 दिनों में से 8 दिन प्रश्न काल हुआ और इसमें 48 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। वर्तमान में, इस बैठक के तारांकित प्रश्नों के केवल 5 से 6 बैलटों के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए। यह संख्या बढ़ सकती थी, यदि सदस्यगण और मंत्रीगण दोनों ने संक्षिप्त, सटीक और सिर्फ प्रश्नों एवं उत्तरों पर केन्द्रित रहने की परिपाटी का अनुसरण किया गया होता। यह सभापीठ सभी से इस विकल्प पर विचार करने का आग्रह करती है।

ध्यानाकर्षण संबंधी चार सूचनाओं द्वारा भी कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की गयी। सदस्यगण की उत्साहपूर्ण भागीदारी और उनके द्वारा इसके अधिक अवसरों की मांग से यह रेखांकित होता है कि इशके समय को और बढ़ाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि सत्र की अवधि और लंबी हो जैसी परिपाटी बहुत वर्षों पहले थी। इस सभा ने यह निर्णय लिया था कि वह विधि और न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कार्यों की जांच करेगी। तथापि, समय की कमी के कारण इनमें से केवल एक को ही ग्रहण किया जा सका।

मैं इस अवसर पर सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों और समूहों के नेतागण और माननीय सदस्यगण का उनके द्वारा सभा के समग्र रूप से सुचारू कार्यकरण हेतु दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उपसभापति, उपसभाध्यक्षों के पैनल के सदस्यों और सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी उनके सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ।